श्री संतोष कुमार
अपर सत्र न्यायाधीष–प्रथम
सहरसा

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–
विशेष न्यायाधीश अनु.जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधि. सहरसा

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–654/2026

पारो देवी एवं 03 अन्य.....आवेदकगण
बनाम
बिहार सरकार .....विपक्षी

आवेदकगण के तरफ से :– श्री अजीत नारायण यादव, विद्वान अधिवक्ता
राज्य के तरफ से :– श्री अमरेंद्र कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक

15.06.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. पारो देवी 2. अशोक महतों 3. शशि महतों 4. पंकज कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। प्रस्तुत कांड एस0सी0/एस0टी0 थाना कांड संख्या–28/2026 दिनांक 27.05.2026 अंतर्गत धारा–191(2), 115(2), 303(2), 75, 76, 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता एवं अंतर्गत धारा–3(1)(r)(s)(wi), 3(2)(va) अनु. जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दर्ज है।

अग्रिम जमानत आवेदन चालित करते हुए आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत नारायण यादव ने निवेदन किया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में आवेदकगण की ओर से प्रथम है इसके पूर्व कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र अग्रिम अथवा नियमित श्रीमान के न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं की गयी है। आवेदकगण क्रमशः (1) पारो देवी (3) शशि महतों एवं (4) पंकज कुमार महतों पर पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है जबकि आवेदक संख्या (2) अशोक महतों के उपर पूर्व से निम्न वर्णित दो मुकदमा न्यायालय में लंबित है जो क्रमशः महिषी थाना कांड संख्या 13/2017 अंतर्गत धारा 341, 323, 386, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं महिषी थाना कांड संख्या 109/2020 अंतर्गत धारा 447, 341, 323, 385, 504, 506, 34 भा0द0वि0। आवेदकगण बिल्कुल ही निर्दोष है एवं कोई अपराध नहीं किये हैं। आवेदक को उपरोक्त वाद में गंदी राजनीति के तहत झूठ–मूठ का फंसाया गया है। जबकि उपरोक्त वाद वो घटनास्थल से

श्री संतोष कुमार
अपर सत्र न्यायाधीष–प्रथम
सहरसा

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–654 / 2026

लगातार
15.06.2026

आवेदगण का कोई लेना–देना नहीं है। आवेदकगण के उपर सिर्फ वो सिर्फ जाति सूचक गाली–गलौज करने का झूठ–मूठ का आरोप लगाकर नामजद अभियुक्त बना दिया गया है। घटना के दिन व समय किसी भी प्रकार का कोई घटना घटी ही नहीं उल्टे आवेदिका अनुसूचित जाति के होने के नाते अपने जाति का गलत फायदा उठाकर लोगों पर झूठा मुकदमा किया गया है। उपरोक्त वाद के मुदालह नितीश कुमार वो उपरोक्त वाद के सूचक के पुत्र के बीच मोबाईल फोन के माध्यम से आपस में कहा–सुनी हुई, जिस कारण उपरोक्त मुकदमा पैसा, पावर के दम पर झूठ–मूठ का लाया गया है। आवेदकगण जगह–जमीन वो घर मकान वाले व्यक्ति हैं जिसे पलायन की कोई संभावना नहीं है। आवेदकगण यह अण्डरटेक करता है कि वाद के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को पूर्णरूपेण सहयोग करने हेतु तैयार है एवं न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि को मुकदमा के निष्पादन तक सदेह उपस्थित रहेगा।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

अभियोजन कहानी का सारांश है कि दिनांक 23.05.2026 समय करीबन 12.30 बजे रात्रि में सूचिका सुगिया देवी पति उपेन्द्र राम, साकिन कन्दाहा, वार्ड नं0 10, थाना महिषी, जिला सहरसा के पति के गयवाने में उनके ही गॉव के नितीश कुमार महतों, उनके घर में घुस गये और सुचिका सुगिया देवी के बदन पर हाथ पिफराते हुए बना का कपड़ा लत्ताच फाड़ दिया। जब सूचिका के द्वारा विरोध किया गया तो मुॅह दबाकर बलात्कार करने का प्रयास किया किन्तु बगल में सोये सुचिका के दो पोता उम्र क्रमशः 7 वर्ष और 5 वर्ष के जगने पर तथा हो हल्ला की आवाज पर सूचिका को गंदी गंदी जातिसूचक गाली देते हुए पटक दिया और कहा कि मादरचोद चमरनिपयॉ चूपचार रहकर मजा लो और मजा दो अन्यथा पोता समेत को भी गला दबाकर समाप्त कर देंगे। सुगिया देवी किसी तरह हाथ छुड़ाकर बाहर आकर हल्ला किया तो पीछे से आकर लात मुक्का, लप्पड़–थप्पड़ से मारपीट करते धड़पकड़ करने लगा वो

श्री संतोष कुमार
अपर सत्र न्यायाधीष–प्रथम
सहरसा

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–654 / 2026

लगातार
15.06.2026

काफी विरोध करने पर थप्पड़ मारते हुए नाक का नकमुन्नी सोने का कीमत 10,000 / – रूपये का नोंच लिया वो देख लेने की धमकी देते भाग गया। उसके बाद अगले दिन दिनांक 24.05.2026 को सुबह में नितिश कुमार महतों के घर पर शिकयत करने गयी तो उसका संबंधी शशि महतों, पारो देवी, अशोक महतों, पंकज कुमार महतों सभी मिलकर उल्टे सूचिका को ही जाति सूचक गाली देतु हुए कहा कि जिस बाप के पास जाना है जाओं। उॅची जाति का लोग छोटी जाति के महिला के साथ ऐसा करते रहता है कोईं बड़ी बात नहीं है जाओं मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तत्पश्चात् उक्त घटना के निश्वत् पंचायत बैठायी तो उपरोक्त सभी लोग खुले शब्दों में पंचायत के समक्ष बोला कि इस तरह का घटना का कोई पंचायत नहीं होता है। उसे बाद पंकज कुमार महतों अपने मोबाईल संख्या 9354655478 वो नीतिश कुमार महतों मोबाईल सुख्या 8102106980 से मेरे लड़का के नंबर पर जान से मारने की धमकी लगातार दे रहा है। उपरोक्त आशय के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं और सभी मिलकर सूचिका सुगिया देवी के साथ **"मादरचोद चमरनिया"** कहकर गाली–गलौज करने तथा मारपीट करने के साथ–साथ अभद्र व्यवहार करने का स्पष्ट आरोप है। सुचिका अनुसूचित जाति की सदस्या है। अनुसूचित जाति / जनजाति के धारा– 18 अनुसूचति जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत पोषणीय नहीं है। तदनुसार, आवेदकगण **1. पारो देवी 2. अशोक महतों 3. शशि महतों 4. पंकज कुमार** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को अपोषणीयता के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश